निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 फाल्गुन 1936 (श0)

(सं0 पटना 353) पटना, मंगलवार, 10 मार्च 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद
विद्यापति मार्ग, पटना–800001

अधिसूचना
3 फरवरी 2015

सं0 1464––बाँका जिलान्तर्गत कसबा मंदार, पो0–मंदार हील, अंचल+थाना–बौंसी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पर्षद के जांचोपरांत एक सार्वजनिक न्यास पाया गया है। इस पर्वत पर तथा इसके इर्द–गिर्द अन्य अनेकों सार्वजनिक न्यास, अतिथिगृह इत्यादि भी हैं, जो देखने से अति मनमोहक हैं। इस मंदिर के अलावा पर्वत पर श्री नरसिंह भगवान मंदिर भी है। पर्षद द्वारा करवाई गयी जांच से स्पष्ट है कि उक्त दोनों मंदिर की व्यवस्था एक ही साथ की जा रही है। जांच प्रतिवेदन में संलग्न अनुमंडल पदाधिकारी, बांका की अध्यक्षता में स्थानीय लोगों की एक न्यास समिति का गठन किया गया है, जो पर्षद से मान्यता प्राप्त नहीं है। समिति के सदस्य श्री उदय शंकर झा 'चंचल' जो मंदिर विकास के कार्य में मुख्य भुमिका रखते हैं, को इस मंदिर की सार्वजनिकता के आधार पर पर्षदीय पत्रांक–336, दिनांक 29/06/14 द्वारा निबंधन कराने हेतु पत्र दिया गया। श्री चंचल के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं खतियान के आधार पर इस न्यास का निबंधन किया गया, जिसका निबंधन सं0 4363 है। अनुमंडल पदाधिकारी, बांका की अध्यक्षता में गठित न्यास समिति की मान्यता प्रदान करने हेतु पर्षद से मांग की गई है। चुँकि श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर एवं नरसिंह भगवान मंदिर दो अलग–अलग मंदिर है। नरसिंह भगवान मंदिर की संचिका पर्षद में पूर्व से संधारित है। अतः श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का निबंधन अलग किया गया। जबकि दोनों मंदिरों का संचालन संयुक्त रूप से इसी न्यास समिति द्वारा भी किया जा सकता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 के अन्तर्गत धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ग्राम– कसबा मंदार, पो0– मंदार हील, अंचल+थाना–बौंसी, जिला–बांका** के सुचारू प्रबंधन, सुरक्षा एवं सम्यक विकास हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, बांका की अध्यक्षता में दिनांक 15/09/13 की बैठक में गठित समिति को संशोधित करते हुए, निम्नलिखित योजना का निरूपण तथा योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए 11 सदस्यों की एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर न्यास योजना** ग्राम–कसबा मंदार, पो0– मंदार हील, अंचल+थाना–बौंसी, जिला–बांका'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर न्यास समिति** ग्राम–कसबा मंदार, पो0–मंदार हील,

अंचल+थाना–बौंसी, जिला–बांका'' होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ, राग–भोग एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय सरकारी नजारत में जमा न कर, न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. यदि न्यास की आय पूर्व से सरकारी नजारत में जमा है, उसे न्यास समिति प्राप्त कर, न्यास के नाम से खोले गये बैंक खाते में जमा कर, पर्षद को सुचित करेगी।

5. न्यास की आय–व्यय में, आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

6. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के बजट, आय–व्यय की विवरणी, पर्षद शुल्क, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझी जाय, तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

10. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है।

(1)	अनुमंडल पदाधिकारी, बांका	–	अध्यक्ष
(2)	अंचल पदाधिकारी, बौंसी	–	उपाध्यक्ष
(3)	श्री उदय शंकर झा 'चंचल' पिता–स्व0 नशीवर झा, ग्राम–गुड़िया, बांका	–	सचिव
(4)	श्री पवन कु0 सिंह, पिता–स्व0 ज्योतिन्द्र नारायण, ग्राम– सबलपुर, बांका	–	कोषाध्यक्ष
(5)	प्रखंड विकास पदाधिकारी	–	सदस्य
(6)	थानाध्यक्ष, बौंसी	–	''
(7)	प्रमुख–पंचायत	–	''
(8)	मुखिया–कसबा मंदार पर्वत	–	''
(9)	श्री शंकर प्र0 सिंह, ग्राम–झपनिया, बांका	–	''
(10)	श्री राजा राम अग्रवाल, ग्राम–दलिया, बांका	–	''
(11)	श्री राजीव कुमार सिंह, ग्राम–सबलपुर, बांका	–	''

उपर्युक्त न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी और न्यास समिति का कार्यकाल 05 वर्षों का होगा। समिति द्वारा संतोषजनक कार्य पाये जाने पर न्यास समिति के कार्यकाल का विस्तार किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 353-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in